

**न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.—590 / 2015  
संस्थित दिनांक—06.07.2015  
फाईलिंग नं.—234503006872015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

अयोध्यानाथ उर्फ गुड्डू पिता झाडूनाथ, उम्र—28 वर्ष, जाति गारपगारी,  
निवासी—ग्राम मानेगांव, थाना बिरसा  
हाल मुकाम—ग्राम कावेली (मोहनपुर), पुलिस चौकी सोनेवानी,  
थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—06 / 01 / 2017 को घोषित)**

- 1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—24.06.2015 को दोपहर करीब 12:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सालेवाड़ा, मुण्डाटोला के सरई जंगल में फरियादी श्रीमती हेमलताबाई, जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हेमलताबाई ने दिनांक—26.06.2015 को पुलिस थाना बिरसा आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम सालेवाड़ा में रहती है तथा घरेलु कार्य करती है। उसका विवाह ग्राम मानेगांव निवासी गिरधारी साहू से हुआ था। घटना दिनांक—24.06.2015 को वह ग्राम मानेगांव से पैदल ग्राम सालेवाड़ा आ रही थी, तभी मानेगांव निवासी अयोध्यानाथ उसे अकेले देखकर उसके पास आया और बोला कि वह उसे पसंद करता है और आरोपी ने उसके दाहिने हाथ की कलाई पकड़ ली और बुरी नियत से उसे पकड़ने लगा। उसने शोर मचाया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। उसने घर आकर यह बात अपनी माँ गंगाबाई को बताई थी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—64 / 15 अंतर्गत धारा—354 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा

किया। विचारण के दौरान फरियादी हेमलताबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अंतर्गत किये जाने से आरोपी का विचारण पूर्ण किया गया।

**4—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-24.06.2015 को दोपहर करीब 12:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सालेवाड़ा, मुण्डाटोला के सरई जंगल में फरियादी श्रीमती हेमलताबाई, जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-**

**5—** अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी हेमलताबाई अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके बयान देने के लगभग एक वर्ष पूर्व की है। उसका आरोपी से मौखिक विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में लेख कराई थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे जहां हस्ताक्षर करने कहा था, उसने वहीं हस्ताक्षर कर दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपी से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में आरोपी द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लेने वाली बात नहीं लेख कराना व्यक्त किया है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने उसके बताए अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है।

**6—** अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी गंगाबाई अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके बयान देने के लगभग एक वर्ष पूर्व की है। आरोपी से उसकी पुत्री का मौखिक विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसकी पुत्री ने थाना बिरसा में लेख कराई थी। आरोपी से उसके मधुर संबंध हो गये हैं, इसलिए वह आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहती। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी तथा उसकी पुत्री का न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी ने बुरी नियत से उसकी पुत्री का हाथ पकड़ा था, वाली बात लेख कराई थी। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को लेख कराने से इंकार किया। प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा न होने से राजीनामा आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। फरियादी हेमलताबाई अ.सा.1 ने स्वयं यह कहा है कि आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ नहीं पकड़ा था। अभियोजन साक्षी गंगाबाई अ.सा.2 ने भी आरोपी द्वारा उसकी पुत्री का घटना दिनांक को बुरी नियत से हाथ पकड़ लेने वाली बात होने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षियों ने मात्र आरोपी

से मौखिक विवाद होने के कथन अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है। उपरोक्त स्थिति में यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपी अयोध्यानाथ ने फरियादी हेमलताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 का अपराध किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं हो रहे हैं। अतः आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

7— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

8— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)